राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–63/2008

अनिल सोनी **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 12.11.2007 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी के पदोन्नति आदेश को निरस्त किया गया है एवं अपीलार्थी को पश्चातवृती 2 भर्ती वर्षों के लिए पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए विवर्जित (debarred) किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.11.2006 के द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी एवं अपीलार्थी का पदस्थापन पदोन्नति उपरांत जिला उपखण्ड–।। आमेर, जयपुर किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को जो पदोन्नति प्रदान की गई थी, वह गलत रूप से निरस्त की गई है। पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकार अपीलार्थी को एक बार निहित हो गया था, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं करने पर असमर्थता आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखे जाने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं करने बाबत असमर्थता आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप अपीलार्थी के पक्ष में जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 18–11–06 को आदेश दिनांक 12–11–07 द्वारा निरस्त किया है, जो नियमानुसार है एवं वित्त विभाग के आदेश दिनांक 4–12–96 के अनुसार पदोन्नति का लाभ त्यागने वाले कर्मचारी को द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान देय नहीं है। अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं करने बाबत असमर्थता आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु बार–बार लिखा गया। उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 12–7–07 द्वारा यह भी सूचित किया गया कि यदि तीन दिवस के भीतर कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो स्वतः ही पदोन्नति का त्याग माना जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अपीलार्थी की होगी परन्तु अपीलार्थी द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया

`

गया, जैसा कि आदेश दिनांक 12–11–07 में वर्णित है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 4–12–96 के अनुसार पदोन्नति का लाभ त्यागने पर द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया।
4. अपीलार्थी को दिनांक 18.01.2006 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई थी, किंतु पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर अपीलार्थी को कार्यभार ग्रहण करना था। अपीलार्थी ने पदोन्नति स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जिस पर अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं करने बाबत असमर्थता आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। परंतु फिर भी अपीलार्थी ने पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं करने बाबत् असमर्थता आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इस आधार पर अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति का त्याग होना मानते हुए आदेश दिनांक 12.11.2007 जारी किया गया है।
5. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान किये जाने के उपरांत पदोन्नत स्थान पर अपीलार्थी को निश्चित अवधि तक कार्यग्रहण करना था, परंतु अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को पदोन्नति का परित्याग माना गया, जिसमे प्रत्यर्थी विभाग की किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रकट होना प्रस्तुत नहीं होता है।
6. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)